यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला खान अधिकारी, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला खान अधिकारी, देहरादून के माह 04/2017से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस.एस. दरियाल, एवं बृज भूषण मणि त्रिपाठी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा आशीष तड़ियाल, ले.प.द्वारा दिनांक 09.07.2018 से 21.07.2018 तक श्री पी. के. गुप्ता, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री डी0के0 श्रीवास्तव एवं श्री कलवन्त सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 03.03.2018 से 13.03.2018 तक श्री नवीनचन्द्र शंखधर, लेखा परीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमे राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**- ''सम्पूर्ण देहरादून जिला क्षेत्र''

3. (ii) (अ)**राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय द्वाराअर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है।

वर्ष	अर्जितराजस्व (रू लाख में)
2015-16	2484.07
2016-17	3236.11
2017-18	4835.47

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(`लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिकअवशेष		स्थापना		गैरस्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैरस्थापना`	आवंटन`	व्यय`	आवंटन`	व्यय`		
शुन्य								

(स) केन्द्र पुरोनिर्धारित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजनाकानाम	प्रारम्भिकअवशेष`	प्राप्त`	व्ययअधिक्य(+) `	बचत(-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन: शासन से मुख्यालय को, मुख्यालय से डी0डी0 ओ0 द्वारा सभी जनपदों को किया जाता है|गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई ‘A’ श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव-अपर सचिव-निदेशक- अपर निदेशक- संयुक्त निदेशक–उपनिदेशक(भूवैज्ञानिक/ज्येष्ठ खान अधिकारी)- खान अधिकारी/सहायक भूवैज्ञानिक- सर्वेक्षक

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षामें **कार्यालय जिला खान अधिकारी, देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला खान अधिकारी, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi)**विस्तृत जांच हेतु माह का चयन**:-

राजस्व: माह 03/2018 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह...................को विस्तृत जांच(व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :-लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डीपीसी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (क)

प्रस्तर:-1 निर्माण इकाइयों द्वारा अवैध खनन करने के बावजूद अर्थदण्ड आरोपित न किया जाना ` 24.17 करोड़।

"उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू,बजरी,बोल्डर) चुगान नीति, 30 सितम्बर 2016 के उपबन्ध 23(2) के अनुसार सरकारी निर्माण इकाइयों जैसे लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, डी0जी0बी0आर0 (ग्रेफ), सिंचाई विभाग आदि द्वारा सड़क, पहुँच मार्ग आदि बनाए जाने के दौरान निर्माण स्थल से निकलने वाले बोल्डर, पत्थर, बजरी आदि को निर्माण कार्य में उपयोग हेतु निर्माण आगणन (Estimate) की जाँच/निरीक्षण व मूल्यांकन उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति (जिलाखान अधिकारी, सदस्य सचिव) से कराते हुये उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 68 के अंतर्गत नियम 72 को शिथिल करते हुये नियमानुसार अनुज्ञापत्र संबन्धित जिलाधिकारी के द्वारा अल्प अवधि हेतु स्वीकृत किया जाएगा।

सरकारी निर्माण कार्य हेतु उपखनिज के उपयोग से पूर्व आवेदन खनन अनुज्ञा अथवा खनन पट्टा हेतु निर्धारित प्रारूप MM8/MM11 तथा तदनुसार आवेदन शुल्क क्रमश: अल्प अवधि हेतु अनुज्ञा शुल्क `5000/वचुगान पट्टे हेतु रु.100000/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराते हुये आवेदन पत्र जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा तांकि नियमानुसार खनन अनुज्ञा पत्र अथवा खनन पट्टा स्वीकृत किया जा सके।

कार्यालय जिलाखान अधिकारी देहारादून के अभिलेखों की जांच में पाया कि 16 निर्माण इकाइयों के द्वारा वर्ष 2017-18 में एक भी अनुज्ञा पत्र एवं खनन पट्टा हेतु प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया था। जबकि उक्त लिखित 16 निर्माण इकाइयों के द्वारा रॉयल्टी के रूप में **`60417029.00**/जमा किया गया था (सूची संलग्न)। यदि उक्तानुसार अनुज्ञा पत्र और पट्टा स्वीकृत किये जाते तो आवेदन शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त होता, लेकिन विभाग के द्वारा नीति के प्रावधानों के अनुसार कोई कार्यवाही न किए जाने के कारण उपखनिजो का अवैध खनन कर निर्माण कार्यो में प्रयुक्त किया गया था जिससे राजस्व की हानि हुई। प्रदेशांतर्गत किसी भी प्रकार का उपखनिज बिना अनुज्ञापत्र/पट्टा के खनन नहीं किया जा सकता है लेकिन निर्माण इकाइयों के द्वारा बिना अनुज्ञा पत्र/खनन पट्टा के ही उपखनिजों का खनन कर निर्माण कार्यो में प्रयुक्त किया गया और रॉयल्टी जमा की गयी। जिस पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली, 2005 के संशोधन दिनांक 13 नवंबर, 2016 के अनुसार अवैध उत्खनित उपखनिज की मात्रा पर रॉयल्टी का पाँच गुणा अर्थदण्ड आरोपित कर वसूल किये जाने का प्रावधान था। परन्तु खनन विभाग द्वारा अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने के कारण सरकार को `241668116.00(**60417029**x5=302085145-60417029) की राजस्व क्षति हुई,

यह भी उल्लेखनीय है कि जिले में कार्यरत कुल 21 निर्माण इकाइयों में से आतिथितक 16 इकाइयों की सूचना उपलब्ध करायी गयी। शेष 05 इकाइयों की भी सूचना यथाशीघ्र उपलब्ध कराना लेखापरीक्षा को प्रतीक्षित रहेगा।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा अवैध खनन की रोकथाम करने व वसूली की कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है।

अत: नियमावली / नीति के प्रावधानानुसार कार्यवाही न किए जाने के परिणामस्वरूप `24.17 करोड़ की हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

निर्माण इकाइयों द्वारा अदा की गयी रायल्टी की सूची

क्र.सं.	निर्माण इकाई का नाम	बिना अनुज्ञा पत्र /खनन पट्टा के ही उपखनिज प्रयुक्त कर जमा की गई राँयल्टी की धनराशि
1	अधिशासी अभियंता, परियोजना खण्ड (सिंचाई) यमुना कालोनी, देहरादून	249748.00
2	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, देहरादून	2107282.00
3	अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड पी0डब्लू0डी, देहरादून	1083100.00
4	अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग (RWD), देहरादून	2753144.00
5	अधिशासी अभियंता, अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड यमुना कालोनी, देहरादून	823789.00
6	अधिशासी अभियंता, टयूब वेल खण्ड, देहरादून	724914.00
7	अधिशासी अभियंता, अस्थाई खंड पी0डब्लू0डी0, शहिया	5758044.00
8	अधिशासी अभियंता, अस्थाई खंड पी0डब्लू0डी0, चकराता	6958468.00
9	अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड पी0डब्लू0डी0, देहरादून	5189588.00
10	अधिशासी अभियंता, पेयजल निर्माण निगम, देहरादून	-
11	अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खंड, देहरादून	-

12	अधिशासी अभियंता, एशियन विकास बैंक खंड देहरादून	2754747.00
13	अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, डोईवाला, देहरादून	2539120.00
14	अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, देहरादून	4744297.00
15	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, विकासनगर	4678537.00
16	अधिशासी अभियंता, PMGSY खण्ड, काल्सी	18851270.00
17	अधिशासी अभियंता, PMGSY खण्ड, शहस्त्रधारा रोड, देहरादून	526896.00
18	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड अंबारी	-
19	अधिशासी अभियंता, लघु डाल खंड, देहरादून	-
20	अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-II विश्व बैंक खंड, देहरादून	-
21	अधिशासी अभियंता, अस्थाई खंड पी0डब्लू0डी0, ऋषिकेश	674085.00
	योग	**60417029.00**

भाग 2 (क)

प्रस्तर:02 रिवर ट्रेनिंग व विकास शुल्क एवं क्षति पूर्ति न लिए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ` 2.42 करोड़।

उत्तराखण्ड शासनादेशसंख्या 1689/VII-1/80-ख/2016, दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 के अनुसार उपखनिज की निकासी हेतु निगमों तथा निजी भूमि में निम्नानुसार दरों से शुल्क निर्धारित किया जाना अपेक्षित था:-

1- रॉयल्टी
2- स्टांप शुल्क रॉयल्टी का 2 प्रतिशत
3- रिवर ट्रेनिंग एवं सड़क विकास शुल्क रॉयल्टी का 15 प्रतिशत
4- विकास शुल्क रॉयल्टी का 10 प्रतिशत
5- क्षतिपूर्ति रॉयल्टी का 15 प्रतिशत
6- पट्टाधारकों के द्वारा किया गया खर्च यथा पर्यावरणीय अनुमति खर्च, सीमांकन खर्च, आवेदन खर्च आदि रॉयल्टी का 1 प्रतिशत।

उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 1621/VII-1/2017/8ख/16, दिनांक 17 नवंबर, 2017 उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 के नियम 10(2)5 न्यास निधि हेतु अंशदान के अनुसार सरकारी निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली बालू, बजरी पर जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास पर सीधे जमा किए जाने पर रॉयल्टी का 25 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त रूप से जमा करेंगे। यह दिनांक 12 जनवरी, 2015 से प्रबृत हुई समझी जाएगी।

कार्यालय जिलाखान अधिकारी, देहरादून के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान सरकारी निर्माण इकाइयों के द्वारा सीधे जमा किए गए रॉयल्टी के विवरण की मांग किए जाने पर 16 इकाइयों का विवरण उपलब्ध कराया गया, के अनुसार कुल रॉयल्टी `**60417029**.00 सीधे जमा की गई थी, का 40 प्रतिशत धनराशि `24166812.00(**60417029**x 40%) जमा किया जाना अपेक्षित था, (विवरण संलग्न) जिसको जमा किया जाने का कोई विवरण अभिलेखो में उपलब्ध नहीं है।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा वसूली का नोटिस जारी करने की कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है।

अत: रिवर ट्रेनिंग व विकास शुल्क एवं क्षति पूर्ति न लिए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति `2.42 करोड़ का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

निर्माण इकाइयों द्वारा अदा की गयी रायल्टी की सूची

क्र.सं.	निर्माण इकाई का नाम	बिना अनुज्ञा पत्र /खनन पट्टा के ही उपखनिज प्रयुक्त कर जमा की गई राँयल्टी की धनराशि	40% जिला खनिज न्यास निधि में जमा का विवरण
1	अधिशासी अभियंता, परियोजना खण्ड (सिंचाई) यमुना कालोनी, देहरादून	249748.00	-
2	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, देहरादून	2107282.00	-
3	अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड पी0डब्लू0डी, देहरादून	1083100.00	-
4	अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग (RWD), देहरादून	2753144.00	-
5	अधिशासी अभियंता, अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड यमुना कालोनी, देहरादून	823789.00	-
6	अधिशासी अभियंता, टयूंब वेल खण्ड, देहरादून	724914.00	-
7	अधिशासी अभियंता, अस्थाई खंड पी0डब्लू0डी0, शहिया	5758044.00	
8	अधिशासी अभियंता, अस्थाई खंड पी0डब्लू0डी0, चकराता	6958468.00	-
9	अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड पी0डब्लू0डी0, देहरादून	5189588.00	-
10	अधिशासी अभियंता, पेयजल निर्माण निगम, देहरादून	-	-

11	अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खंड, देहरादून	-	-
12	अधिशासी अभियंता, एशियन विकास बैंक खंड देहरादून	2754747.00	-
13	अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, डोईवाला, देहरादून	2539120.00	-
14	अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, देहरादून	4744297.00	-
15	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, विकासनगर	4678537.00	-
16	अधिशासी अभियंता, PMGSY खण्ड, काल्सी	18851270.00	-
17	अधिशासी अभियंता, PMGSY खण्ड, शहस्त्रधारा रोड, देहरादून	526896.00	-
18	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड अंबारी	-	-
19	अधिशासी अभियंता, लघु डाल खंड, देहरादून	-	-
20	अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-II विश्व बैंक खंड, देहरादून	-	-
21	अधिशासी अभियंता, अस्थाई खंड पी0डब्लू0डी0, ऋषिकेश	674085.00	-
	योग	**60417029.00**	**-**

भाग 2 (क)

प्रस्तर:-03 आवेदन शुल्क जमा न किए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति `46.42 लाख।

उत्तराखण्ड शासन औधोगिक विकास विभाग के पत्रांक 1033/VII-1/2015/146ख/2010 देहरादून दिनांक 31 जुलाई 2015 के द्वारा ईट भट्टा के स्वीकृति/संचालन हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र एम0 एम0 8 में जिलाधिकारी कार्यालय में निर्धारित आवेदन शुल्क ` 5.00 लाख (रुपये पाँच लाख) सहित प्रस्तुत किया जाएगा। जिलाधिकारी के द्वारा खान अधिकारी एवं उपजिलाधिकारी की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर ईट भट्टा स्वीकृति/संचालन संबंधीअनुज्ञा 01 वर्ष की अवधि के लिए प्रपत्र एम0 एम0 10 स्वीकृत किया जाएगा। तत्पश्चात उत्तराखण्ड शासन औधोगिक विकास अनुभाग -1 के पत्रांक 1725/VII-1/2015/146ख/2010 देहरादून दिनांक 30 अक्तूबर 2015 के द्वारा ईट भट्टा के स्वीकृति/संचालन हेतु आवेदन शुल्क ` 2.50 लाख (रुपये दो लाख पचास हजार) सहित प्रस्तुत किया जाएगा।

कार्यालय जिलाखान अधिकारी, देहरादून के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 12 ईट भट्टों के संचालकों द्वारा वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में आवेदन शुल्क ` 6000000/-जमा किया जाना अपेक्षित था जबकि ईट भट्टों के संचालकों द्वारा मात्र ` 1358400/- जमा किया गया था। इस प्रकार ` 4641600/- कम जमा किया गया था (सूची संलग्न)। यह धनराशि 24% वार्षिक ब्याज सहित देय है।

विभाग के संज्ञान मे लाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि ईट भट्टों के संचालकों द्वारा कोई आवेदन प्राप्त न होने पर इस कार्यालय द्वारा संचालन करने की अनुमति नहीं दी गयी एवं कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है।

अत: आवेदन शुल्क जमा न करने के परिणामस्वरूप `46.42 लाख राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

ईट भट्टों के संचालकों द्वारा आवेदन शुल्क जमा का विवरण

क्र. सं.	ईट भट्टा स्वामी का नाम	वर्ष	अपेक्षित धनराशि	जमा धनराशि	आवेदन शुल्क की बकाया धनराशि
1.	गुप्ता ब्रिक क्लीन विकासनगर (25 पाये)	2016-17	250000.00	-	250000.00
		2017-18	250000.00	-	250000.00
2.	राकेश ब्रिक यूनिट-1 मेहूवाला माफी (27 पाये)	2016-17	250000.00	- -	250000.00
		2017-18	250000.00	-	250000.00
3.	अशोक ब्रिक टर्नर रोड (19 पाये)	2016-17	250000.00	-	250000.00
		2017-18	250000.00	-	250000.00
4.	दुग्गल ब्रदर्स पित्थुवाला (25 पाये)	2016-17	250000.00	-	250000.00
		2017-18	250000.00	-	250000.00
5.	बत्ता ब्रदर्स प्रो0 रमेश चन्द बत्ता मेहूवाला माफी (23 पाये)	2016-17	250000.00	-	250000.00
		2017-18	250000.00	-	250000.00
6.	शिवालिक ब्रिक लांघा रोड	2016-17	250000.00	-	250000.00
		2017-18	250000.00		250000.00

	(19 पाये)				
7.	सिंघल ट्रेडर्स बंशीवाला (24 पाये)	2016-17	250000.00	78400.00	171600.00
		2017-18	250000.00	200000.00	50000.00
8.	अमर संस प्रो0 सुरेन्द्र कुमार तुन्तो वाला (20 पाये)	2016-17	250000.00	-	250000.00
		2017-18	250000.00	200000.00	50000.00
9.	विकास ब्रिक फील्ड प्रो0 हरबंस बत्ता मेहवाला माफी (25 पाये)	2016-17	250000.00	-	250000.00
		2017-18	250000.00	200000.00	50000.00
10.	जे0 पी0 गर्ग एण्ड कम्पनी सेलाकुई (25 पाये)	2016-17	250000.00	-	250000.00
		2017-18	250000.00	200000.00	50000.00
11.	अमर चंद बत्ता पित्थूवाला (25 पाये)	2016-17	250000.00	-	250000.00
		2017-18	250000.00	200000.00	50000.00
12.	राकेश ब्रिक मेहूवाला (27 पाये)	2016-17	250000.00	-	250000.00
		2017-18	250000.00	280000.00	(-)30000.00
		योग	**6000000.00**	**1358400**	**4641600**

भाग 2 (क)

प्रस्तर:-04 ईट भट्टों के संचालकों द्वारा रॉयल्टी जमा न कराये जाने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति `68.80 लाख।

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग के पत्रांक 1207/VII-1/24-ख/2007 देहरादून दिनांक 07 अगस्त 2015 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली 2015 के अनुसार ईंट की रॉयल्टी की दर ` 2000/- प्रति हजार ईट निर्धारित की गयी थी। तत्पश्चात उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग -1 के पत्रांक 211/VII-1/24-ख/2007 दिनांक 26 फरवरी 2016 द्वारा ईंट की रॉयल्टी की दर रु. 1000/-प्रति हजार ईट निर्धारित की गयी थी। उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग के पत्रांक 1754/VII-1/24-ख/07 टीसी देहरादून दिनांक 8 दिसम्बर 2016 द्वारा ईंट की रॉयल्टी की दर ` 100/-प्रति हजार ईट निर्धारित की गयी थी। उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास विभाग के पत्रांक 1033/VII-1/2015/146-ख/2010 देहरादून दिनांक 31 जुलाई 2015 के द्वारा ईट भट्टे से न्यूनतम 15 पाये हेतु 20 लाख ईट उत्पादन का मानक निर्धारित करते हुए और प्रति पाया 1.00 लाख ईटअतिरिक्त मानते हुए गणना करने हेतु निर्देशित किया गया है।

कार्यालय जिला खान अधिकारी, देहरादून के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 मे ईट भट्टों द्ववारा (संलग्न सूची में दर्शित 12 भट्टा) उत्पादित ईट (पाये के अनुसार) के सापेक्ष क्रमशः ` 3440000/- एवं `3440000/- रॉयल्टी जमा नहीं की गयी थी (सूची संलग्न है)। जिस के कारण विभाग को ` 6880000/- की राजस्व क्षति हुई।

उक्त को इंगित करने पर विभाग के संज्ञान मे लाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि वसूली की शीघ्र कार्यवाही की जायेगी ।

अत: ईंट भट्टा संचालकों द्वारा रॉयल्टी जमा न कराये जाने के परिणामस्वरूप `68.80 लाख राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

ईट पर देय रायल्टी का विवरण

क्र.सं.	ईट भट्टा स्वामी का नाम	वर्ष	निर्धारित मानक के अनुसार ईंट का उत्पादन	देयरॉयल्टीकी धनराशि ₹ 100 प्रति 1000 ईट
1.	गुप्ता ब्रिक क्लीन विकासनगर (25 पाये)	2016-17	30,00,000	300000
		2017-18	30,00,000	300000
2.	राकेश ब्रिक यूनिट-1 मेहूवालामाफी (22 पाये)	2016-17	32,00,000	320000
		2017-18	32,00,000	320000
3.	अशोक ब्रिक टर्नर रोड (19 पाये)	2016-17	24,00,000	240000
		2017-18	24,00,000	240000
4.	दुग्गल ब्रदर्स पित्थुवाला (25 पाये)	2016-17	30,00,000	300000
		2017-18	30,00,000	300000
5.	बत्ता ब्रदर्स प्रो0 रमेश चन्द बत्ता मेहूवाला माफी (23 पाये)	2016-17	28,00,000	280000
		2017-18	28,00,000	280000
6.	शिवालिक ब्रिकलांघा रोड (19 पाये)	2016-17	24,00,000	240000
		2017-18	24,00,000	240000
7.	सिंगल ट्रेडर्स बंशिवाला (24 पाये)	2016-17	29,00,000	290000
		2017-18	29,00,000	290000

8.	अमर संस प्रो0 सुरेन्द्र कुमार तुन्तोवाला (20 पाये)	2016-17	25,00,000	250000
		2017-18	25,00,000	250000
9.	विकास ब्रिक फील्ड प्रो0 हरबंस बत्ता मेहवालामाफी (25 पाये)	2016-17	30,00,000	300000
		2017-18	30,00,000	300000
10.	जे0 पी0 गर्ग एण्ड कम्पनी सेलाकुई (25 पाये)	2016-17	30,00,000	300000
		2017-18	30,00,000	300000
11.	अमरचंद बत्ता पित्थूवाला (25 पाये)	2016-17	30,00,000	300000
		2017-18	30,00,000	300000
12.	राकेश ब्रिक मेहूवाला (27 पाये)	2016-17	32,00,000	320000
		2017-18	32,00,000	320000
			योग	68,80,000

भाग 2 (क)

प्रस्तर:-05 डेड रैंट न लिए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति `18.04 करोड़।

उत्तराखंड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 69 एवं उत्तराखंड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, दिनांक 30 सितम्बर 2016 के प्रावधान 15 के अनुसार पट्टाधारक के द्वारा पट्टाधनराशि/उपरिहार्य भाटक की धनराशि का भुगतान निर्धारित लेखाशीर्ष में पट्टाबिलेख में निर्धारित मासिक किश्तो में निर्धारित समयांतर्गत किया जाएगा एवं 16 के अनुसार निर्धारित समयांतर्गत जमा न करने पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जाएगा।

औद्योगिक विकास अनुभाग के पत्र संख्या 1207/VII-1/24-ख/2007 दिनांक 07 अगस्त, 2015 के अनुसार प्रति एकड़ वार्षिक उपरिहार्य भाटक `80000/निर्धारित किया गया है। उत्तराखण्ड के वन क्षेत्र में प्रवाहित होने वाले नदी तल के उपखनिज क्षेत्रों में उपखनिज के चुगान के खनन पट्टे उत्तराखंड वन विकास निगम को उत्तराखंड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 केअनुसार स्वीकृत किया जाएगा।

कार्यालय जिला खान अधिकारी, देहरादून के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जिला देहरादून के वन क्षेत्र में प्रवाहित नदी तल के 05 खनन लॉट वन विकास निगम को स्वीकृत किया गया था, जिसमें वन विकास निगम द्वारा वर्ष 2015-16 से 2017-18 तकअपरिहार्य भाटक से रॉयल्टी कम जमा किया गया था। उल्लिखित नियमानुसार गणना करने पर वर्ष 2015-16 में ` 58327378.00,वर्ष 2016-17 में `68439052.00 एवं वर्ष 2017-18 में ` 53592126.00 कुल `180358526 (विवरण पत्र संलग्न) अपरिहार्य भाटक जमा किया जाना अपेक्षित था। जिसकी वसूली की कार्यवाही किए जाने का कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं पाया गया। इस प्रकार `180358526 जमा किए जाने की तिथि तक 24% की दर से ब्याज भी देय है।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया है।

भाग 2 (क)

प्रस्तर-06: पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क वसूलन किये जाने के परिणामस्वरुप राजस्व क्षति ` 32.65 लाख |

उत्तराखंड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग- संख्या/1873 / VII-1 /16/158-ख /04 टीसी देहरादून दिनांक 09 दिसम्बर 2016 के उत्तराखंड खनिज (अवैधखनन, परिवहन, एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2005 यथासंशोधित के नियम 11(झ)(2) के अनुसार स्टोनक्रेशर संचालकों को क्रश मेटेरियल की मात्रा पर `1.00 प्रतिकुंतल की समतुल्य धनराशि तथा स्क्रीनिंग प्लांट संचालकों को छाने गए उपखनिज की मात्रा पर
` 0.25 प्रति कुंतल की समतुल्य धनराशि एवं नियम -11-झ(1) के अनुसार समस्त भंडारण अनुज्ञाधारकों द्वारा बालू, बजरी, याबोल्डर या उसके उत्पाद (अर्थात कच्चा माल/ पक्का माल) परिवहन/निकासी करने पर उत्तराखंड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 में प्रावधानित बालू या बजरी या बोल्डर की रायल्टी के समतुल्य का 2% धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखाशीर्ष-0853 अलौह धातुकर्म, एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा |

कार्यालय जिलाखान अधिकारी, देहरादून के अभिलेखों की जाँच में पाया गया किस्टोनक्रेशर संचालक सर्वश्री गैमन इण्डिया लिमिटेड विकासनगर द्वारा मासिक विवरणी के अनुसार प्रारम्भिक रहतिया दिनांक 01-04-2017 को 827 घन मीटर एवं दिनांक 31-03-2018 को अन्तिम रहतिया 1354 घन मीटर उपखनिज की मात्रा दर्शाई गयी थी। स्टोनक्रेशर संचालक द्वारा संगत वर्ष में 143314 घन मीटर की खरीद व 142787 घन मीटर की बिक्री प्रदर्शित की गयी थी (संलग्न 1)। स्टोनक्रेशर स्वामी द्वारा संगत वर्ष में क्रमश: चालान संख्या 145, 61 दिनांक 23-11-2017, 27-03-18 के माध्यम से `10000/- व `148290/- पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा किया गया था। जबकि स्टोनक्रेशर स्वामी द्वारा 3141314 (142787X22) कुंतल की बिक्री पर ` 1.00 प्रति कुंतल की दर से ` 3141314/- जमा किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार स्टोनक्रेशर स्वामी द्वारा ` 2983024/- (3141314-158290) पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में कम जमा किया गया था।

(2) खनिज भण्डारकर्ताओं के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 में 22 भण्डारकर्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराई गयी मासिक विवरणी के अनुसार कुल 201593.9 टन खनिज निकासी किया गया था | जिस पर रॉयल्टी का 2% पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क ₹282231/-(201593.9 x70x2/100) नहीं वसूला गया है (संलग्न 2) तथा 24 खनिज भण्डारकर्ताओं (संलग्न 3) द्वारा खनिज निकासी सम्बन्धी मासिक विवरणी भी नहीं प्रस्तुत की गयी थी | जिससे पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क की गणना नहीं की जा सकी | इस प्रकार खनिज भण्डारकर्ताओं द्वारा `282231/- पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में कम जमा किया गया था।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा जांचोपरान्त पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्ककी वसूली की कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है |

अतः पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्ककीराजस्व क्षति `32.65 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

संलग्नक-1

गैमन इण्डिया लिमिटेड (खनिज भंडारण विकासनगर देहरादून) घन मी0 में) मासिक विवरणी

अवधि की तिथि	खनिज का प्रा0 स्टाँक	अवधि के दौरान प्राप्त	अवधि के दौरान निर्गत खनिज	खनिज का अंतिम स्टाँक
1-4-2017 से 15-4-2017	827	4000	3692	1135
16-4-2017 से 30-4-2017	1135	7000	6494	1641
01-05-2017 से 15-05-2017	1641	6000	5622	2019
16-05-2017 से 31-05-2017	2019	5200	4700	2519
01-06-2017 से 15-06-2017	2519	8000	7700	2819
16-06-2017 से 30-06-2017	2819	8200	8750	2269
01-07-2017 से 15-07-2017	2269	2000	2250	2019
16-07-2017 से 31-07-2017	2019	2650	2900	1769
01-08-2017 से 15-08-2017	1769	3050	3275	1544
16-08-2017 से 31-08-2017	1544	1755	1955	1344
01-09-2017 से 15-09-2017	1344	840	830	1354
16-09-2017 से 30-09-2017	1354	3600	3600	1354
01-10-2017 से 15-10-2017	1354	2500	2500	1354
16-10-2017 से 31-10-2017	1354	3900	3900	1354
01-11-2017 से 15-11-2017	1354	3760	3760	1354
16-11-2017 से 30-11-2017	1354	5440	5440	1354
01-12-2017 से 15-12-2017	1354	4081	4081	1354
16-12-2017 से 31-12-2017	1354	6976	6976	1354
01-01-2018 से 15-01-2018	1354	7586	7586	1354
16-01-2018 से 31-01-2018	1354	9985	9985	1354
01-02-2018 से 15-02-2018	1354	7188	7188	1354
16-02-2018 से 28-02-2018	1354	9887	9887	1354
01-03-2018 से 15-03-2018	1354	12336	12336	1354
16-03-2018 से 31-03-2018	1354	17380	17380	1354
योग	**37507**	**143314**	**142787**	**38034**

संलग्नक-2

जनपद देहरादून के अंतर्गत खनिज भंडारणकर्ताओं के पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क सम्बन्धी सूची।

क्रम सं.	भण्डारण कर्ता का नाम (सर्वश्री/ श्रीमती)	भण्डारण स्वीकृति की अवधि	वर्ष 2017-18 में दिए गए मासिक विवरणी के अनुसार खनिज निकासी (टन में)	पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क रॉयल्टी (`70 प्रति टन) का 2%
1.	उदय चंद रमोला ऋषिकेश देहरादून	02-06-16 से 01-06-18 तक	5694	5694x70x2/100 =7971.6
2.	श्री हाजी अब्दुल हामीद पुत्र श्री नूर मोहम्मद डोईवाला देहरादून	16-12-16 से 15-12-18 तक	8572.62	8572.62x70x2/100=12001.69
3.	श्री दीपक कुमाई , भानियावाला , देहरादून	12-10-17 से 11-10-19 तक	15701.7	15701.7x70x2/100= 21982.38
4.	अतुल नेगी ट्रेडर्स जौलीग्रांट , देहरादून	30-12-16 से 29-12-18	10957.5	10957.5x70x2/100=15340.5
5.	कृति देवी ग्राम विकास समिति डोईवाला	06-12-16 से 05-12-18	17951.79	17951.79x70x2/100=25132.50
6.	रतन ट्रेडर्स , ऋषिकेश देहरादून	17-10-17 से 16-10-19	292.6	292.6x70x2/100=409.64
7.	एम. एस. ट्रेडर्स डोईवाल	15-06-17 से 14-06-19 तक	2457.65	2457.65x70x2/100=3440.71
8.	कृष्णा नन्द व श्री अविनाश , प्रेमनगर ,देहरादून	16-08-16 से 15-08-18 तक	252.3	252.3x70x2/100=353.22
9.	माँ कृति देवी ग्राम विकास समिति प्रो होशियार सिंह नेगी डोईवाला ,देहरादून	17-10-17 से 16-10-18 तक	4568.48	4568.48x70x2/100=6395.87
10.	मै उत्तराँचल एसोसियेशन प्रो श्रीअंकुश पाल	23-09-17 से 22-09-19	40098.91	40098.91x70x2/100=56138.47
11.	अमित कुमार (शिव ट्रेडर्स) डोईवाला देहरादून	20-09-16 से 19-09-18 तक	11233.88	11233.88x70x2/100=15727.43
12.	श्री चिरंजीव सिंह , डाक्टरगंज , देहरादून	17-10-16 से 16-10-18 तक	3571	3571x70x2/100=4999.4

13.	श्री राजीव सिंह राना, डोईवाला देहरादून	10-11-17 से 09-11-19 तक	6229	6229x70x2/100=8720.6
14.	दुरियल बिल्डिंग मेटेरिअल्स	08-09-16 से 07-09-18 तक	12604.8	12604x70x2/100=17646.72
15.	उदय चंद रमोला ऋषिकेश , देहरादून	29-07-16 से 28-07-18	22019.46	22019.46x70x2/100=30827.24
16.	अरुण बहुगुणा निवासी बढासी तहसील देहरादून	12-10-17 से 11-10-19 तक	834	834x70x2/100=1167.6
17.	उदय चंद रमोला , ऋषिकेश , देहरादून	04-08-17 से 03-08-19 तक	682	682x70x2/100=954.8
18.	श्री प्रदीप सिंह बंगा , डोईवाला , देहरादून	07-11-17 से 06-11-19 तक	5484.9	5484.9x70x2/100=7678.86
19.	मै बालाजी बिल्डिंग मेटेरिअल , रानीपोखरी ऋषिकेश	16-06-17 से 15-06-19 तक	9308.41	9308x70x2/100=13031.77
20.	आदविक ट्रेडिंग कंपनी , डोईवाला देहरादून	14-11-17 से 13-11-19 तक	14780	14780x70x2/100=20692
21.	मोहन लाल पुत्र पीताम्बर , ऋषिकेश	04-04-16 से 03-04-19	4304.2	43014.2x70x2/100=6025.88
22.	श्री रवि कुमार (देहरादून ट्रेडर्स) , डोईवाला देहरादून	25-10-17 से 31-05-19	3994.7	3994.7x70x2/100=5592.58
कुल			201593.9	₹ 282231.46

संलग्नक-3

खनिज भंडारणकर्ताओ के खनिज सम्बन्धी मासिक विवरणी जमा न करने सम्बन्धी सूची।

क्रम सं.	भण्डारणकर्ता का नाम (सर्वश्री/ श्रीमती)	भण्डारण स्वीकृति की अवधि	माह जिनके मासिक विवरणी नहीं जमा की गयी	कुल माह
1	मुकेश चन्द्र अरोड़ा बल्लूपुर रोड देहरादून	04-04-16 से 03-04-19 तक	04/17 से 10/17	7
2	शम्भू प्रसाद कंडवाल , तहसील डोईवाला	06-12-16 से 05-12-18 तक	04/17 से 03/18	12
3	दुरियाल बिल्डिंग मेटेरिअल ,भानियावाला देहरादून	08-09-16 से 07-07-18 तक	04/07 से 03/18 तक	12
4	श्री राधेपल , रेशम माजरी , देहरादून	10-11-2017 से 31-11-2019 तक	12/17 से 03/18 तक	04
5	यशवंत सिंह पुत्र मदन सिंह , विकासनगर ,देहरादून	21-07-2017 से 20-07-2019	08/17 से 03/18 तक	08
6	ऋषभ ट्रेडर्स प्रो0 ऋषभ विज , लक्ष्मण चौक ,देहरादून	26-10-2017 से 25-10-2019 तक	11/17 से 03/18	05
7	श्री जितेंद्र सिंह , निवासी हरिपुर कलां देहरादून	14-06-16 से 13-06-18	04/17 से 03/18	12
8	सतेन्द्र सिंह पुत्र भोपाल सिंह , विकास नगर देहरादून	14-09-16 से 13-09-18	04/07 से 03/18 तक	12
9	श्री कृपाल सिंह पुत्र चेत सिंह , रायपुर	04-09-17 से 03-09-19 तक	10/17 से 03/18 तक	06
10	श्री हाजी अब्दुल हामीद पुत्र श्री नूर मोहम्मद , डोईवाला देहरादून	16-12-16 से 15-12-18 तक	02/18 ,03/18	02
11	अतुल नेगी ट्रेडर्स जौलीग्रांट , देहरादून	30-12-16 से 29-12-18	04/17 ,05/17 06/17, 01/18, 02/18 03/18	06
12	कृति देवी ग्राम विकास समिति डोईवाला	17-10-17 से 16-10-19	04/17 एवं 05/17	02
13	रतन ट्रेडर्स , ऋषिकेश देहरादून	17-10-17 से 16-10-	01/18 से 03/18	03

		19		
14	एम. एस. ट्रेडर्स डोईवाल	15-06-17 से 14-06-19 तक	07/17 से 10/17 तक	04
15	होशियार सिंह नेगी डोई वाला ,देहरादून	17-10-17 से 16-10-18 तक	11/17, 12/17 02/18, 03/18	04
16	मै उत्तराँचल एसोसियेशन प्रो श्रीअंकुशपाल	23-09-17 से 22-09-19	03/18	01
17	अमित कुमार (शिव ट्रेडर्स) डोईवाला देहरादून	20-09-16 से 19-09-18 तक	11/17, 12/17, 02/18, 03/18	04
18	यमुना ट्रेडिंग कंपनी , डाकपत्थर , देहरादून	20-07-17 से 19-07-19 तक	04/17 से 08/17 एवं 02/18, 03/18	07
19	अरुण बहुगुणा निवासी बढासी तहसील देहरादून	12-10-17 से 11-10-19 तक	01/18 से 03/18 तक	03
20	श्री प्रदीप सिंह बंगा , डोईवाला , देहरादून	07-11-17 से 06-11-19 तक	02/18 से 03/18	02
21	मै बालाजी बिल्डिंग मेटेरिअल , रानी पोखरी ऋषिकेश	16-06-17 से 15-06-19 तक	07/17, 08/17, 09/17 एवं 03/18	04
22	आदविक ट्रेडिंग कंपनी , डोईवाला देहरादून	14-11-17 से 13-11-19 तक	02/18 एवं 03/18	02
23	मोहन लाल पुत्र पीताम्बर , ऋषिकेश	04-04-16 से 03-04-19	01/18 से 03/18	03
24	श्री रवि कुमार(देहरादून ट्रेडर्स) , डोईवाला देहरादून	25-10-17 से 31-05-19	01/18 से 03/18	03
कुल				**128**

<u>भाग 2 (ब)</u>

प्रस्तर:01- शासनादेश के अनुसार सचल दलो का गठन नहीं किया जाना।

प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1747/VII-1-10/198-ख/207 दिनांक 12 जुलाई 2010 के द्वारा अवैध खनन/परिवहन/भंडारण की रोकथाम बाजार में खनिजों के मूल्यों पर नियंत्रण रखे जाने के उद्देश्य भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में ड्रिलिंग कर्मचारियों तथा फील्ड परिचर आदि को खनिज मोहरिर के साथ सम्मिलित करते हुए राजकीय वाहन सहित खान अधिकारी/खान निरीक्षक के नेतृत्व में सचल दलों का गठन करने के निर्देश दिये गए थे।

कार्यालय जिलाखान अधिकारी, देहरादून के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि देहरादून जिला विकासशील है। निरन्तर बहुत अधिक मात्रा में निर्माण कार्य चल रहा है। बहुमंजिला इमारतें भी निरन्तर बन रही है। लेकिन विभाग द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार 65 रिटेल भंडारण के संचालक पंजीकृत दर्शाये गए है, जो अत्यधिक कम है। जबकि जिले के अंतर्गत कई गुना भंडारण/रिटेल भंडारण विना किसी अनुज्ञा के संचालित है। विभाग द्वाराअवैध खनन, परिवहन, एवं भंडारण की रोकथाम हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। सचलदल का गठन न होने के कारण जिले में अवैध खनन, परिवहन, एवं भंडारण का खुले आम व्यवसाय चल रहा है। इससे शासन को राजस्व क्षति हो रही है।

उक्त शासनादेश के क्रम में सचल दल का गठन किया जाना अति आवश्यक है। लेकिन विभाग द्वारा सचल दल का गठन न किया जाना राजस्व प्राप्ति के प्रति उदासीनता का धोतक है।

विभाग के संज्ञान मे लाये जाने पर विभाग द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया गया कि शासन/निदेशक द्वारा सचल दल का गठन किया जाना अपेक्षित है।

अत: उक्त प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर:2 - मासिक विवरणियां प्रस्तुत न करने पर अर्थदंड का अनारोपण `20.56 लाख|

उत्तराखंड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 सं. 1873/VII-1/16/158-ख़/ 04 टीसी देहरादून : दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 के नियम-13(2)(ड) के अनुसार भण्डारकर्ता द्वारा मासिक विवरण प्रस्तुत न करने पर `2000/- का प्रति माह एवं हांट मिक्स प्लांट, रेडीमिक्स प्लान्ट, स्टोनक्रेशर / स्क्रीनिंगप्लान्ट के स्वामी द्वारा मासिक विवरणी निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा। मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर प्रति माह ₹50000/-का अर्थदण्ड आरोपित किया जाने का प्रावधान है |

कार्यालय जिलाखान अधिकारी, देहरादून के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि खनिज भण्डारकर्ताओं द्वारा मासिक विवरण प्रस्तुत नहीं किये गए थे | विभाग द्वारा खनिज भण्डारकर्ताओ को मासिक विवरणी जमा न करने पर नोटिस निर्गत नहीं किया गया और अर्थदंड भीअधिरोपित नहीं किया गया था | 24 खनिज भण्डारकर्ताओ पर अर्थदण्ड अधिरोपित न करने के फलस्वरूप ₹ 256000/- वसूला नहीं गया था (विवरण पत्र संलग्न)|

2. आगे अभिलेखों की जांच में पाया गया कि सर्वश्रीगैमन इण्डिया लिमिटेड स्टोनक्रेशर स्वामी द्वारा विगत तीन वर्षों से कोई मासिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की गयी थी। उक्तप्रावधानों के अनुसार मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर ₹ 50000/- प्रति विवरणी की दर से विभाग द्वारा ₹ 1800000/- अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जांचोपरान्त कार्यवाही की जाएगी।

अतः मासिक विवरणियां प्रस्तुत न करने पर अर्थदंड का अनारोपण ` 20.56 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

जनपद देहरादून के अंतर्गत खनिज भंडारणकर्ताओ के खनिज सम्बन्धी मासिक विवरणी से सम्बन्धी सूची।

क्रमसं.	भण्डारणकर्ता का नाम (सर्वश्री/ श्रीमती)	भण्डारण स्वीकृति की अवधि	माह जिनके मासिक विवरणी नहीं जमा की गयी	कुल माह	अर्थदंड(`2000/- प्रतिमाह)
1	मुकेश चन्द्र अरोड़ा बल्लूपुर रोड देहरादून	04-04-16 से 03-04-19 तक	04/17 से 10/17	7	14000
2	शम्भू प्रसाद कंडवाल , तहसील डोईवाला	06-12-16 से 05-12-18 तक	04/17 से 03/18	12	24000
3	दुरियाल बिल्डिंग मेटेरिअल ,भानियावाला देहरादून	08-09-16 से 07-07-18 तक	04/07 से 03/18 तक	12	24000
4	श्री राधेपल , रेशम माजरी , देहरादून	10-11-2017 से 31-11-2019 तक	12/17 से 03/18 तक	04	8000
5	यशवंत सिंह पुत्र मदन सिंह , विकासनगर ,देहरादून	21-07-2017 से 20-07-2019	08/17 से 03/18 तक	08	16000
6	ऋषभ ट्रेडर्स प्रो0 ऋषभ विज , लक्ष्मण चौक ,देहरादून	26-10-2017 से 25-10-2019 तक	11/17 से 03/18	05	10000
7	श्री जितेंद्र सिंह , निवासी हरिपुर कलां देहरादून	14-06-16 से 13-06-18	04/17 से 03/18	12	24000
8	सतेन्द्र सिंह पुत्र भोपाल सिंह , विकास नगर देहरादून	14-09-16 से 13-09-18	04/07 से 03/18 तक	12	24000
9	श्री कृपाल सिंह पुत्र चेत सिंह , रायपुर	04-09-17 से 03-09-19 तक	10/17 से 03/18 तक	06	12000
10	श्री हाजी अब्दुल हामीद पुत्र श्री नूर मोहम्मद , डोईवाला देहरादून	16-12-16 से 15-12-18 तक	02/18 ,03/18	02	4000
11	अतुल नेगी ट्रेडर्स जौलीग्रांट , देहरादून	30-12-16 से 29-12-18	04/17 ,05/17 06/17, 01/18, 02/18 03/18	06	12000
12	कृति देवी ग्राम विकास समिति डोईवाला	17-10-17 से 16-10-19	04/17 एवं 05/17	02	4000
13	रतन ट्रेडर्स , ऋषिकेश देहरादून	17-10-17 से 16-10-19	01/18 से 03/18	03	6000

14	एम. एस. ट्रेडर्स डोईवाल	15-06-17 से 14-06-19 तक	07/17 से 10/17 तक	04	8000
15	होशियार सिंह नेगी डोई वाला ,देहरादून	17-10-17 से 16-10-18 तक	11/17, 12/17 02/18, 03/18	04	8000
16	मै उत्तराँचल एसोसियेशन प्रो श्रीअंकुशपाल	23-09-17 से 22-09-19	03/18	01	2000
17	अमित कुमार (शिव ट्रेडर्स) डोईवाला देहरादून	20-09-16 से 19-09-18 तक	11/17, 12/17, 02/18, 03/18	04	8000
18	यमुना ट्रेडिंग कंपनी , डाकपत्थर , देहरादून	20-07-17 से 19-07-19 तक	04/17 से 08/17 एवं 02/18, 03/18	07	14000
19	अरुण बहुगुणा निवासी बढासी तहसील देहरादून	12-10-17 से 11-10-19 तक	01/18 से 03/18 तक	03	6000
20	श्री प्रदीप सिंह बंगा , डोईवाला , देहरादून	07-11-17 से 06-11-19 तक	02/18 से 03/18	02	4000
21	मै बालाजी बिल्डिंग मेटेरिअल , रानी पोखरी ऋषिकेश	16-06-17 से 15-06-19 तक	07/17, 08/17, 09/17 एवं 03/18	04	80000
22	आदविक ट्रेडिंग कंपनी , डोईवाला देहरादून	14-11-17 से 13-11-19 तक	02/18 एवं 03/18	02	4000
23	मोहन लाल पुत्र पीताम्बर , ऋषिकेश	04-04-16 से 03-04-19	01/18 से 03/18	03	6000
24	श्री रवि कुमार(देहरादून ट्रेडर्स) , डोईवाला देहरादून	25-10-17 से 31-05-19	01/18 से 03/18	03	6000
कुल				**128**	**` 256000**

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : प्रथम लेखापरीक्षा

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
RS/DMO-12/2016-17	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5
RS/DMO-158/2017-18	1,2,3	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : विभाग द्वारा अनुपालन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

व्यय से संबन्धितविगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण: व्यय नहीं किया जाता है।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य-**टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य-**टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय जिला खान अधिकारी, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

2.सतत्अनियमितताएः   शून्य

3.लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रमसं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री डॉ0 दीपक हटवाल	उपनिदेशक, 20.03.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिला खान अधिकारी, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/उपमहालेखाकार (राजस्वक्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा
अधिकारी/राजस्व